

**राजस्थान सरकार ,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

कमांक: प0 12(3)राज/वाद/99,पार्ट-13(II)

जयपुर, दिनांक 28/7/2017

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सी.डब्लू नं0-5109/2015 चैनसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.05.15 की पालना में अति0 महाधिवक्तागण, जोधपुर के कार्यालय में संविदा पर कार्यरत निम्नलिखित 4 संविदा कार्मिको को दिनांक 28.02.17 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा स्थगन हटने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त क्रम में अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित संविदा कार्मिको को पूर्व की भौति दिनांक 01.03.17 से 28.02.18 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम संविदा कर्मी	कार्य/सेवा का नाम	कार्यालय
1	श्री भवानी सिंह	बुक लिफ्टर	अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर
2	श्री योगेन्द्र कुमार कनोजिया	क0 लि	अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर
3	श्री अमित कुमार दवे	क0 लि0	अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर
4	श्री नटवर दैया	बुक लिफ्टर	अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-331700434 दिनांक 01.06.17 एवं आई.डी संख्या-331700554 दिनांक 24.07.17 से प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

- Sd -

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, विधि।
3. श्री पी.आर.सिंह जोधा, अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि एस.बी.सिविल रिट याचिका 5109/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.05.15 को ब्रेकेट करवाये जाने के संबंध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही कर, प्रगति रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।
4. श्री राजेश पंवार, अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
6. कोषाधिकारी, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधि कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

Sd -
28.7.17

(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि